

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/1376 /

जबलपुर, दिनांक 19 / 02 / 2025

श्रीमती शबाना खान, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को चिकित्सीय आधार पर स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 05.06.2024 से 14.06.2024 तक (10 दिन) का लघुकृत अवकाश, दिनांक 15.06.2024 से 30.07.2024 तक (46 दिन) का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31.07.2024 से 02.09.2024 तक (34 दिन) का अदेय अवकाश (Leave not due) स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1377 /

जबलपुर, दिनांक 19 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती शबाना खान, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संदीप शर्मा) 19.02.25
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)